

मुकदमा
नम्बर 29/2022

सेवामें ,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

रायपुर

अनवान

प्रार्थी

राजस्थान सरकार

जरिये भूमिधारी

तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थी

1. विजयराम मंगलाराम मदनलाल
ओमराम पि. पूनमचंद

2. यानकीदेवी ७१० पूनमचंद के कामु विजयराम
कोरई

जाति झांघी निवासी रायपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 वास्ते तरमीम दुरु

महोदय,

1. निवेदन है कि अप्रार्थी ^{ओमराम} ~~विजयराम मंगलाराम मदनलाल~~ ^{ओमराम} ~~मंगलाराम~~ ^{कोरई} निवासी रायपुर के नाम से ग्राम रायपुर-II पटवार मंडल रायपुर-II तहसील रायपुर जिला पाली के नाम से खातेदारी भूमि अवस्थित है।

अप्रार्थी की पैरा एक में वर्णित भूमि की तरमीम वक्त सेग्रीगेशन गलत स्थान पर सहा से करदी गई जिसे दुरुस्त किया जाना है।

पटवारी हल्का रायपुर-II एवं भू अ.नि. रायपुर की रिपोर्ट अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश फरमाया जावे।


तहसीलदार-रायपुर
तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राजस्थान)

Dispatch
Number
432
16/06/22

फर्द मौका

आज दिनांक 16⁶/₂₂ को ग्राम झागपुर-II के खसरा संख्या 1723/24, 1723/9
 रकबा 0.0405, 0.4532 किस्म वा.प्र. चा.दे खातेदार विजयराज मंगलाराम सातवाल श्रीमाराज सिंह
 कौम संघ का मौका देखा। मौके अनुसार खातेदारान का निम्नांकित नक्शा अनुसार
 कब्जा काशत है। 1/30 माराज

नजरीनक्शा



वर्तमान तरमीम जो गलत है।

सही स्थान पर प्रस्तावित तरमीम

मौका / नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम शुद्धि प्रस्तावित है।

- संलग्न-1. नकल जमाबन्दी
 2. गत नक्शा की प्रति
 3. वर्तमान नक्शा की प्रति

विजयराज मंगलाराम
 पटवारी

हस्ताक्षर गवाहान

हस्ताक्षर पटवारी

विजयराज मंगलाराम
गवाहान
श्रीमाराज

रिपोर्ट भू अ. निरीक्षक


पटवारी हल्का झागपुर-II की फर्द मौका अनुसार मेरे द्वारा मौका जांच की गई है। वर्तमान मौका एव पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा अनुसार प्रस्तावित स्थान पर तरमीम किया जाना उचित है।

विजयराज मंगलाराम
 हस्ताक्षर भू अ. निरीक्षक

क्रमांक/२३५/३१/२२/१५६६ dt. 14.6.22

तहसीलदार (भूमिधारी) की अनुशंषा

रिपोर्ट पटवारी हल्का रायपुर-II जांच भू अ. नि. रायपुर
के आधार पर तरमीम शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।


तहसीलदार रायपुर
जिला-पाली (राज०)


आदेश

मुकेश कुमार
29/2022

तहसीलदार (भूमिधारी) रायपुर की अनुशंषा के अनुसार ग्राम रायपुर-II के
संख्या 1723 1723 रकबा 0.0405, 0.4532 की वर्तमान तरमीम के स्थान पर प्रस्तावित
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर पालना कर, पालना प्रस्तुत करें।






उपस्थित अधिकारी
रायपुर (पाली)
रायपुर